

Sumit
SUMIT CHATURVEDI
ACC ID-UP14104004
MATHURA

12025/2020

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No. : IN-UP09722259675595S
Certificate Issued Date : 08-Oct-2020 01:53 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14104004/ MATHURA/ UP-MTH
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1410400413303186244758S
Purchased by : NARENDRA SINGH
Description of Document : Article 23 Conveyance
Property Description : MAUJA GIRDHARPUR TEHSIL AND DISTT MATHURA
Consideration Price (Rs.) :
First Party : MATHURESH
Second Party : NARENDRA SINGH
Stamp Duty Paid By : NARENDRA SINGH
Stamp Duty Amount(Rs.) : 2,16,500
(Two Lakh Sixteen Thousand Five Hundred only)



-----Please write or type below this line-----

मथुरेश




दुर्गाहि



RS 0001609652


Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709890



{2}

॥ ओउम सिद्धिदात्री नमः ॥

लेखपत्र/विक्रयपत्र आराजी का संक्षिप्त विवरण-

1. भूमि का प्रकार : कृषि
2. स्थित : मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा।
3. सम्पत्ति का क्षेत्रफल : बिक्रय रकवा 0.15675 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश
4. सड़क की स्थिति : सड़क, खरंजा व आबादी से दूर स्थित है।
5. प्रतिफल की धनराशि : 39,19,000/-रुपये
6. मालियत : 39,19,000/-रु.
7. देय स्टाम्प : 2,74,500/-रु. जिसमें जनरल स्टाम्प-58000/-रु व 2,16,500/-रु ई-स्टाम्प नं. आई एन-यू पी 09722259675595 एस दिनांक 08.10.2020 जो इस प्रलेख के साथ संलग्न है। उक्त आराजी/भूमि विकासशुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है।
8. उक्त क्षेत्र की कृषि भूमि का सरकारी रेट -250,00,000/-रुपया प्रति वर्ग मीटर, जो पेज नं. बी कोड पर दर्ज है।
कार्य क्षेत्र उपनिबन्धक । मथुरा।

मथुरेश

— [Signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709891



{ 3 }

प्रथम पक्ष की संख्या : (1)

विक्रेता का विवरण

मथुरेश पुत्र स्व० परषोत्तम बली व संरक्षक अपने नाबालिग पुत्र — राकेश उम्र करीब 16 वर्ष पुत्र श्री मथुरेश निवासी ग्राम सतोहा असगरपुर, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा।

पेन : बी एल एम पी एम 2872 जी

मो-9058397470

द्वितीय पक्ष की संख्या : (1)

क्रेता का विवरण

नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा, सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा द्वारा मुख्यारआम विपिन सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा, सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा बजरिये मुख्यारनामा आम दिनांक 20.02.2019ई० जिसका निबंधन कार्यालय उ०नि० मथुरा पर बही सं. 4 जिल्द सं. 308 के सफा 105-114 क्रमांक 86 पर हुआ है, जो मुख्यारनामा आज तक पूर्ण रुप से वैध है और मुख्यारकर्ता जीवित हैं तथा निरस्त नहीं हुआ है

पैन : ए जेड टी पी के 9604 एल-नरेन्द्र सिंह

मो-8859404056

मथुरेश

राकेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709892



{ 4 }

जोकि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी नकल खतौनी फसली वर्ष 1423-1428 के अनुसार खाता संख्या 200 खसरा संख्या 85 रकवा 0.627 है। लगानी कागजातानुसार स्थित मौजा गिरधरपुर तहसील व जिला मथुरा, में प्रथम पक्ष का हिस्सा 1/4 भाग यानि रकवा 0.15675 है। सम्पूर्ण अंश मिल्कियत प्रथम पक्ष की आराजी भूमिधरी है, जिस पर प्रथम पक्ष का ही कब्जा है तथा उक्त आराजी पर प्रथम पक्ष ही बहैसियत मालिक, काबिज व दखील चला आता है तथा प्रथम पक्ष का ही नाम राजस्व अभिलेखों व सरकारी कागजात नकल खतौनी आदि में दर्ज हैं। सिवाय प्रथम पक्ष के उक्त आराजी का अन्य कोई मालिक व हकदार नहीं है और न किसी जगह रहन व गिरवी आदि है तथा प्रथम पक्ष को उक्त आराजी की बाबत पूरे मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि के अधिकार प्राप्त है तथा उक्त आराजी किसी सरकारी संस्था या बैंक आदि में बंधक नहीं है और न किसी डिग्री में नीलाम या कुर्क है और ऐसा कोई व्यक्ति अथवा वस्तु नहीं है, जो उक्त आराजी के बेचने या हस्तान्तरण आदि करने में बाधा या रुकावट डाल सके, यानि हर प्रकार के झगड़े झंझट व कर्जे व जमानत आदि से पाक साफ तन्हा प्रथम पक्ष की ही आराजी भूमिधरी है। उक्त आराजी काफी ज्यादा खार खड़ेदार कृषि भूमि है। उक्त आराजी से प्रथम पक्ष को कोई खास लाभ व आय नहीं है तथा काश्त से भी अच्छी आय नहीं हो पाती

मथुरेश


रु. 1000





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709893



{5}

है और प्रथम पक्ष को अपने व अपने परिवार की जरूरतों व परवरिश व तालीम नाबालिगान हेतु धन की आवश्यकता है। अतः प्रथम पक्ष ने अपनी आराजी को विक्रय कर देना उचित समझा है। उक्त आराजी के विक्रय से प्राप्त धनराशि को कहीं और निवेश कर देने से प्रथम पक्ष को एक अच्छी व नियमित आय हो जावेगी और इस समय द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को अच्छी कीमत देकर क्रय करने को तैयार है, इस कीमत में बेच देने में प्रथम पक्ष का सरासर लाभ है। अतः उक्त आराजी भूमि हिस्सा 1/4 भाग यानि विक्रय रकवा 0.15675 है 0 सम्पूर्ण अंश भूमि जिसको संलग्न नक्शा मानचित्र में रंग लाल से दर्शाया गया है, को समस्त हकूक व अधिकारो सहित जो प्रथम पक्ष को प्राप्त हैं अथवा भविष्य में प्राप्त हो यानि कुल को बिना छोड़े किसी भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध के समस्त राईट्स व इन्ट्रेस्ट व गुड टाईटिल के व समस्त हकूक व अधिकारों सहित वखुशी बराजी अपने बरेवज 39,19,000/-रु. (उन्तालीस लाख उन्नीस हजार रुपये) में बदस्त नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री महाराज सिंह जी निवासी ग्राम पालीडूंगरा, सौंख रोड़ तहसील गोवर्धन जिला मथुरा, हाल निवासी महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक, गोवर्धन रोड़ तहसील व जिला मथुरा, खरीदार द्वितीय पक्ष के हक में बेच दी

मथुरेश

उत्तम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709894



{6}

और बिक्री कर दी और कीमत का कुल रूपया प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से निम्न भाँति प्राप्त करके व कुल रुपये की प्राप्ती होना अंगीकार कर कब्जा व दखल बेची गयी आराजी रकवा 0.15675 हैक्टेअर सम्पूर्ण अंश भूमि पर खरीदार द्वितीय पक्ष का प्रथम पक्ष ने वाकई अपने समान पूरा मालिकाना करा दिया। द्वितीय पक्ष फर्म बेची गयी उक्त आराजी पर आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना, काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अभिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे। अब बेची गयी उक्त आराजी से प्रथम पक्ष व उसके वारिसों का कुछ भी हक व हिस्सा व सम्बन्ध किसी प्रकार का शेष नहीं रहा और न कभी आयन्दा भविष्य में कदापि होगा। खरीदार द्वितीय पक्ष उक्त आराजी को चाहें जिस प्रकार से प्रयोग करे और जो चाहे सो करे, इसमें प्रथम पक्ष व उसके वारिसों को कुछ उज्र न होगा। यदि बेची गयी आराजी का जुज या कुल हिस्सा खरीदार से निकल जावे, या उसकी बाबत कहीं रहन व गिरवी आदि निकले या कहीं कोई झगडा झंझट निकले या उत्पन्न हो या खरीदार द्वितीय पक्ष को उसकी बाबत कुछ खर्च करना पडे या

मथुरा




रजिस्ट्रार





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709895



{7}

देना पड़े, तो उस सबकी प्रथम पक्ष की पूरी जिम्मेदारी होगी तथा प्रथम पक्ष स्वयं पूरे जिम्मेदार होंगे तथा खरीदार अपना मूल्य का कुल रूपया व समस्त हर्जा-खर्चा प्रथम पक्ष व उसके वारिसान से वसूल करने के अधिकारी होंगे। प्रथम पक्ष द्वारा उक्त आराजी भूमि की बाबत अपने समस्त हकूकों का हस्तान्तरण द्वितीय पक्ष के हक में किया गया है, यदि कोई हकूक व कानूनी पेचीदगी शेष रह जाती है, तो उस हेतु प्रथम पक्ष अपना पूर्ण सहयोग देगा। बेची गयी आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है। विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है। विक्रयशुदा भूमि किसी भी ग्रामसभा सीलिंग भूदान आदि के पट्टा आबंटन की भूमि नहीं है। द्वितीय पक्ष बेची गयी उक्त आराजी को आज से एकमात्र मालिक व स्वामी हो गया। वह समस्त अधिकार मालिकाना काबिजाना व हस्तान्तरण आदि प्रयोग में लावे और जिस प्रकार चाहे प्रयोग करे और जो चाहे सो करे तथा अपना नामान्तरण सरकारी कागजात व राजस्व अमिलेखों में प्रथम पक्ष के स्थान पर दर्ज करावे और मुझ विपिन सिंह को बहसियत मुख्यांर आम क्रेता नरेन्द्र सिंह की ओर से प्राप्त मुख्यांरनामा आर्ष द्वारा उक्त भूमि क्रय करने, कीमत का रूपया अदा करने, बैनामा पंजीकृत कराने आदि के पूरे-पूरे अधिकार प्राप्त हैं। बैनामा में वर्णित सभी बातें नितान्त सत्य व सही हैं एवं पक्षगण के पूर्ण संज्ञान में है।

मधुरेश



विपिन सिंह






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709896

{8}

विवरण मूल्य का कुल रुपया प्राप्ती का-

मूल्य का कुल 39,19,000/-रु विक्रेता ने क्रेता से इस प्रकार प्राप्त किए कि-
6,00,000/-रु चैक सं. 485819 दिनांक 08.10.2019 कैनरा बैंक मथुरा।
12,50,000/-रु चैक सं. 485818 दिनांक 08.10.2020 कैनरा बैंक मथुरा।
14,50,000/-रु चैक सं. 485817 दिनांक 08.10.2020 कैनरा बैंक मथुरा।
6,19,000/-रु चैक सं. 485813 दिनांक 08.10.2020 कैनरा बैंक मथुरा।



मथुरा

क्रेता





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631068

DG 631068

03 OCT 2020

{9}

बैनामा में वर्णित सभी बातें नितान्त सत्य व सही है एवं

सचुरेश

उत्तम





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631069

DG 631069

03 OCT 2020

{ 10 }

पक्षगण के पूर्ण संज्ञान में है।

मधुश्री

सिंह





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631070

DG 631070



{ 11 }

नोट— पेज नं. 2 पर भद्दा छपा है

मथुरा

उत्तर प्रदेश






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631071

DG 631071



{ 12 }

पेज नं. 7 पर भद्दा छपा है।

मधु २२।



— (Signature) —






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631072

DG 631072



{ 13 }

पृष्ठ नं. 8 में वर्णित चेक सं. 485819 दिनांक 08.10.2019

मथुरेश

उत्तर प्रदेश






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631073

DG 631073



{ 14 }

व चैक सं. 485818 व चैक सं. 485817 व चैक सं.

मधुश



राम






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631074

DG 631074



{ 15 }

485813 पैस से लिखे व ठीक किए गए हैं। जो दोनों

मधुरेश




(सामि)



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631075

DG 631075



{ 16 }

पक्षों को मंजूर व स्वीकार है।

सधुरेश



सधुरेश





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631076

DG 631076

03 OCT 2021

{ 17 }

आराजी विकास शुल्क क्षेत्र के अन्दर स्थित है।

अथर्वेश

निहा






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DG 631077

DG 631077



{ 18 }

प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है।

मथुरेश



त्रिमि ६



आवेदन सं०: 202000764030335

0000



बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 12025

वर्ष: 2020

जनरल स्टांप की

सं० 110

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

नाम _____ पुत्र/पत्नी श्री _____

सं० 108 धिक्रेता: नि० _____

श्री राकेश नाथलिन उम करीब 16 वर्ष के द्वारा
मथुरेश, पुत्र श्री परषोत्तम
निवासी: ग्राम सतोहा असगरपुर गोवर्धन रोड मथुरा
व्यवसाय: कृषि



क्रेता: 1

श्री नरेन्द्र सिंह के द्वारा विपिन सिंह, पुत्र श्री महाराज
सिंह जी

निवासी: ग्राम पालीङ्गरा सौख रोड मथुरा हाल नि०
महाराजा हाऊस 106,107 व 108 आनन्दलोक मथुरा

व्यवसाय: अन्य




ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री नितिन, पुत्र श्री रामगोपाल

निवासी: प्रकाश नगर मथुरा

व्यवसाय: अन्य




पहचानकर्ता : 2

श्री राजकुमार, पुत्र श्री हरेन्द्र सिंह

निवासी: अहमलकलां गोवर्धन मथुरा

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे
नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :

एस० के० सिंह

उप निबंधक : सदर प्रथम


मथुरा

सतीश चौधरी



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 709897



{19}

यह प्रलेख दोनों पक्षों के निर्देशानुसार समक्ष गवाहान उन्हें पढ़ाकर, सुनाकर व दिखाकर ड्राफ्ट व टाईप किया गया है।

मथुरा

नितिन



दिनांक : 08.10.2020
टाईप किया : के0 के0 शर्मा, मथुरा।
ड्राफ्ट किया : नितिन बंसल कातिब रजिस्ट्री कार्यालय मथुरा।
साक्षी-


1. नितिन पुत्र श्री रामगोपाल
निवासी प्रकाश नगर मथुरा।
मो-7017024212

2. राजेश्वर श. डेवदिके
H. अहमलकगं मथुरा
ड. विवेक पुत्र श्री नितिन
निवासी महाविद्या कॉलोनी मथुरा।
मो-8802345967

(3) योगेश्वर श. मथुरा निवा
मामे रामेश अंसारपुर
मथुरा

(4) शोभा श. मथुरा निवा
मामे रामेश अंसारपुर
मथुरा

नितिन



निबंधक लिपिक

आवेदन सं०: 202000764030335

0001



बही संख्या 1 जिल्द संख्या 16079 के पृष्ठ 81 से 120 तक
क्रमांक 12025 पर दिनांक 09/10/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया

जनरल स्टाम्प की 0

क्रमांक 31 ता 09/10/20

नाम पुत्र/पत्नी श्री

क्रमांक 24 दि 0

अरविन्द कुमार स्टाम्प विक्रेता
खाना नं० 11, रजिस्ट्री आफिस, मथुरा

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

एस० के० सिंह

उप निबंधक : सदर प्रथम

मथुरा

09/10/2020

I have been thinking about when I should
 leave you - as I have my
 money 0.6298 to my and, never

2/3

2014 21-11
 2014 21-11

2014 21-11
 2014 21-11

2014 21-11
 2014 21-11
 2014 21-11
 2014 21-11

2014 21-11
 2014 21-11

2014 21-11

2014 21-11

2014 21-11